न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11/2019

नारायणी बेवा लालाराम बैरवा नि0 अम्बेडकर हाउस नयागॉव खरेड़ा पो0 खरेड़ा तह0 टोडारायसिंह जिला–टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 2–5–2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडाराययिंह को दिनांक 25–2–2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया।

1–क्या उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के द्वारा उनवानी प्रकरण (कोई भी हो) का तकासमा स्थाई निषेद्याज्ञा में पक्षकारों को सुनने के उपरान्त निर्णय पारित करते हुए तकासमा का आदेश दिया जाकर इजराय की पालना कर खातेदारी का अमल दरामद कर दिया जाता है? तो उक्त प्रकरण में कब्जा कोन–कोनसी धारा के तहत ओर कब दिया जा सकता है प्रकिया सहित मय सम्पूर्ण पत्रावली।

2–यह हे कि उपखण्ड अधिकारी के निर्णय (डिकी)के उपरान्त कोई भी पक्षकार अपील नहीं करता है, ओर निर्धारित समय निकल जाता है तो क्या ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी पुनः ऐसे प्रकरण की नये सिरे से दर्ज कर सुनवाई करते हैं तो विधिनुसार हे या विधि के विपरीत मय स्पष्टीकरण सम्पूर्ण पत्रावली।

3– यह है कि उपखण्ड अधिकारी की ओर से निर्णित प्रकरण (रेस्ज्यूडिकेटा) को बार–बार दर्ज कर प्रतिवादीगणों को एक ही मामले में बार–बार तंग किया जाता है। तो क्या ऐसा करना विधिनुसार हे या विधि के विपरीत है। तो क्या उक्त प्रकरण विधि विपरीत है तो क्यों न खारिज फरमा दिये जावें। स्पष्टीकरण सहित मय सम्पूर्ण पत्रा0।

4–यह है कि उनवानी प्रकरण सन 2018 केसरा बनाम बद्री वगैरह प्रकरण किस प्रकृति रेस्ज्यूडिकेटा है। या नहीं। स्पष्टीकरण सहित मय सम्पूर्ण पत्रा0 की नकल देवें।

5–यह है कि उनवानी प्रकरण केसरा बनाम बद्री जिसका पूर्व में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह द्वारा निर्णय निरस्तारित करने के उपरान्त, प्रतिवादी के

जिला कलेक्टर
टोंक

कब्जे काश्त व खातेदारी की जमीन पर स्टे आर्डर जारी किया गया है। तो समय पूर्व निर्णित आदेश के विरूद्ध, विधि के विरूद्ध है ? स्पष्टीकरण सहित मय सम्पूर्ण पत्रावली।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को पत्र कमांक 322 दिनांक 18–4–2019 द्वारा पत्र लिखा जाकर जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने पत्र कमांक 390 दिनांक 26–4–2019 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक को पत्र कमांक 298/पीए/2019/ दिनांक 14–3–2019 से बिन्दुवार सूचना रजिस्टर्ड डाक से भिजवादी गई थी। जवाब के साथ आवेदक को भिजवाई गई सूचना की प्रति प्रेषित की गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

कार्यालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner